

न्यायालय भूमि सुधार उप- समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 01/2022-23

आदेश की क्र०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी												
26/8/22	आवेदक मनोज भेंगरा, पिता निर्मल भेंगरा जाति मुण्डा, ग्राम – पोकला थाना – कामडारा बसिया, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table><tr><th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th><th>जमीन किस्म</th></tr><tr><td>पोकला</td><td>63</td><td>32</td><td>1022</td><td>0.61 एकड़ में से 0.10 एकड़</td><td></td></tr></table> कुल 0.10 (दस डिसमील) प्लॉट सं० 1022 का चौहदी :- उत्तर में – निज जमीन विक्रेता का टांड, दक्षिण में – निज जमीन विक्रेता का टांड, पूरब में – रास्ता, पश्चिम में – इलिसट देमता का टांड। जमीन विक्रेता का विवरणी मनोज भेंगरा, पिता निर्मल भेंगरा, जाति मुण्डा, ग्राम – पोकला, थाना – कामडारा, जिला–गुमला जमीन क्रेता का विवरणी मेरी सुसाना तोपनो (कन्डुलना), पिता जोसेफ तोपनो, ग्राम कूदा, जाति – मुण्डा, थाना – कामडारा, जिला गुमला । आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता मेरी सुसाना तोपनो (कन्डुलना), पिता जोसेफ तोपनो, ग्राम कूदा, जाति – मुण्डा,, थाना – कामडारा, जिला– गुमला से राशि 1,00,000 (एक लाख)रूपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु रूपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया।	राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म	पोकला	63	32	1022	0.61 एकड़ में से 0.10 एकड़		
राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म									
पोकला	63	32	1022	0.61 एकड़ में से 0.10 एकड़										



अंचलाधिकारी, कामडारा के कार्यालय के पत्रांक 01 दिनांक 09/06/2022 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति मुण्डा के है साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, कामडारा के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक मनोज भेंगरा पिता निर्मल भेंगरा जाति मुण्डा, ग्राम - पोकला थाना - कामडारा जिला-गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप -समाहर्ता
बसिया (गुमला)



भूमि सुधार उप -समाहर्ता
बसिया (गुमला)